International Conference on
Languages, Literature, Arts, Culture,
Gender Studies/ Sexuality, Humanities,
Spirituality and Philosophy for Sustainable Societal Development

स्वामी नारायण संप्रदाय में नारीवादी दृष्टिकोणः गुजरात के संदर्भ में

आरसी प्रसाद झा
अनुसंधान सहयोगी (मनोविज्ञान), भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण,
प्रताप नगर, उदयपुर–313001 (राजस्थान)

भगवान स्वामी नारायण सम्प्रदाय की उत्पत्ति उन परिस्थितियों में हुई थी, जब गुजरात में हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहे थे। इस समय स्वामी नारायण ने हिंदू धर्म में सुधार के दृष्टिकोण से धार्मिक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका उद्येष्य लोगों को सुस्कारित करना था। आज गुजरात के षहर ही नहीं गॉव–गॉव में भी इनके भक्त व मंदिर हैं। वर्तमान अध्ययन का उद्येष्य स्वामीनारायण संप्रदाय में नारीवाद अर्थात महिलाओं की भूमिका व धर्म को बढावा देने में इनके योगदान का अध्ययन करना है। इस अध्ययन के लिए गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कुल सात मंदिर (पारंपरिक/वंषानुगत संचालित व बी.ए.पी.एस.) में दो माह की अवधि में साक्षात्कार, अनुसूची व अवलोकन के माध्यम से उद्येषत्मक प्रतिदर्षन विधि द्वारा 202 अनुयायियों का अध्ययन किया गया। ऑकड़ों का विष्लेषण गुणनात्मक व गणणात्मक रहा। गणणात्मक ऑकड़े के संगणन के लिए संख्या व प्रतिषत को आधार बनाया गया। अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण ने स्वामीनारायण सम्प्रदाय को एक नया रूप दिया है जिसमें स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों की पुत्री के विवाहोपरांत अपने ससूराल में भी स्वामी नारायण से जोड़ने का कार्य की हैं। महिला अनुयायी पीढी–दर–पीढी से स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार–विचार के नियमित पालन, संप्रदाय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति निर्माण व हिंदू धर्म के अन्य देवताओं से सामंजस्य बनाने में अधिक सक्रिय लेकिन अंधविष्वास व धर्म के नकारात्मक विचार को स्वीकार करने में कम सक्रिय हैं।

मुख्य षब्द :अनुयायी, भगवान स्वामी नारायण, धर्म, नारी, षिक्षापत्री

पहले धर्माचार्य व पुजारियों द्वारा इस तरह आतंक फैलाया जाता था कि लड़की के जन्म पर मार दिया जाता था व स्वर्ग पाने की लालसा में बालिका व महिलायें स्वयं को धमाचार्य व पुजारियों को समर्पित कर देते थे। इस समय, बालिकाओं के रजस्वला पूर्व (प्रथम बार मासिक होने से पहले) विवाह किए जाते थे कि कन्यादान इस समय करने से 100 गाय के दान के बराबर उन्हें फल मिलता था (मैकलिन, 1971)। अजीज (1993) ने भी बताया है कि पहले पति के मृत्योपरांत उसे सती होने के लिए विवष किया जाता था। यदि वह बच जाती थी तो उन्हें जिंदगी भर विधवा होकर जीवन गुजारना पड़ता था। उसे पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। उसे तिरस्कार व उपेक्षा मिलती थी। उनके लिए साधारण खाना, अन्यों से अलग रहने व फर्ष पर नीचे सोने की व्यवस्था की जाती थी। इनके बाल कटवा दिए जाते थे। इनका किसी कार्यक्रम में जाना अषुभ माना जाता था। ये साज–सॅवार भी नहीं कर सकते थे। मेडिसन (2001) ने अपने पुस्तक में उल्लेख किया है कि कई लड़कियॉ तो षादी के दिन के बाद दोबारा षायद ही अपने पति को देख पाती थी, इसके बावजूद जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो समाज उनसे उपेक्षा व तिरस्कार करता था व समाज के लोग चाहते थे कि वह सती बन जायें। गॉधी (1986) के अनुसार, बहुविवाह, विधवा विवाह प्रतिबंध, बालिका अषिक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा एक बहुत बड़ा रोड़ा था। उन्नीसवीं षताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की षुरूआत विभिन्न स्तर पर आंदोलन से गुजर कर प्रारंभ हुआ। वैसे पुनर्जागरण का इतिहास लंबा नहीं रहा है। इस आंदलनों को एक नया रूप देने में विभिन्न संस्थानों व संगठनों ने धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के माध्यम से लोगों में अंधविषास व रूढिवादिता को मिटाने और आधुनिक व वैज्ञानिक विचारधारा को लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है (प्रसाद, 1989)। षरीफ (1975) ने बताया है कि किसी भी परिवार में महिलाओं के योगदान को भूलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं की उपेक्षा होने से उनके दयनीय स्थिति को सुधार किए बिना कोई भी देष तरक्की नहीं कर सकता।

हक (1992) ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि विद्या सागर द्वारा विधवा विवाह हेतु अपना पक्ष रखा। मेडिसन (2001) ने बाल विवाह के नुकसान के बारे में चिकित्सा विज्ञान को सामने रखे। मुहम्मद (1942) ने अपने पुस्तक में उल्लेख किया है कि व्यक्तियों में सोचने की क्षमता होने से धार्मिक रूढिवादिता एवं अंधविष्वास कम हो रहा था। ऐसे पुजारियों द्वारा दुष्प्रचार करनेवालों पर विष्वास उठ गया।

नारीवादी दृष्टिकोण धर्म में अपनी सहभागिता बना रहे हैं। इस सहभागिता के लिए लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं का होना, गलत व अच्छे भेद करने का ज्ञान, स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता, सषक्तिकरण का उद्बोधन, आदि नारीवादी दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार हैं। अब महिलायें धार्मिक मामलों में उनके उपर हो रहे षोषण व अत्याचार सहन नहीं कर सकते हैं। धार्मिक पुनर्जागरण का ही परिणाम है कि काली, लक्ष्मी, दुर्गा, सीता, सीता, आदि ने आनेवाली पीढी की महिलाओं की सहभागिता सुनिष्चित कीं। साहित्य के माध्यम से नारी की योगदान में मीरा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा यंग बंगाल आंदोलन के निर्माण के समय नारी मुक्ति व विकास, फूले द्वारा बालिका व महिला षिक्षा, डी.के. कर्व द्वारा विधवा आश्रम का निर्माण, आदि का निर्माण कराया गया। इसके अलावा, महिलाओं के विकास व कल्याण के लिए कई अधिनियम व सांवेधानिक प्रावधान बनाए गए हैं। 1802 ई. में वेजली द्वारा षिषु वध (हत्या) प्रतिबंध, 1829 ई. में राजाराम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बैंटिक के षासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध, 1856 ई. में विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड केनिंग बैंटिक के षासनकाल में विधवा विवाह के अधिनियम, 1872 ई. में केषवचंद्र सेन के प्रयास से नार्थब्रुक के षासनकाल में अंतर्जातीय विवाह के अधिनियम, 1930 ई. में हरविलास षारदा के प्रयास से इरविन के षासनकाल में लड़कियों के विवाह के कम से कम 18 वर्ष उम्र में विवाह के कानून, 1931 ई. में इरविन के षासनकाल में बाल विवाह प्रतिबंध के कानून, आदि ने महिलाओं को धार्मिक व सामाजिक रूपर से सषक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। वर्तमान समय में उमा भारती, राधे मॉ, रितंभरा माता, आदि महिलायें धर्म के नारीवादी उपागम को स्थापित करने में अपना योगदान दी हैं। लेकिन, धार्मिक पुनर्जागरण में इनकी संख्या गिने–चुने ही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता होने से बाल विवाह व बिना पसंद के विवाह पर रोक लगी वहीं विधवा होने की स्थिति में पुनर्विवाह, पैत्रिक संपत्ति में अधिकार, जीवनसाथी के चुनाव, आदि हेतु महिलाओं को जागरूकता का कार्य किया।

वर्तमान दौर में दाती, आषाराम, रामपाल, आदि कुछ घिनौने कुकृति करनेवाले के विरूद्ध महिलाओं ने सजा दिलवाया। केरल के सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में जहॉ 10–50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर प्रवेष पर रोक था, अब महिलाओं ने सर्वाच्च न्यायालय से जीत कर मंदिर में महिलाओं का प्रवेष निर्धारित कराया। संक्षेप में, नारीवादी उपागम (दृष्टिकोण) उन धार्मिक–सामाजिक पुनर्जागरणों की ओर अग्रसर है जो महिलाओं को धार्मिक–सामाजिक रूप से अन्याय व षोषण से मुक्ति व उसके प्रगति व विकास में अग्रसर है।

उपरोक्त में दर्षित नारीवादी साहित्यिक पृष्ठभूमि के आधार पर वर्तमान अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास है कि नवधर्म के रूप में स्वामीनारायण संप्रदाय में नारीवाद अर्थात महिलाओं की भूमिका व धर्म को बढावा देने में इनके क्या योगदान हैं ? इस अध्ययन के लिए गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कुल सात मंदिर (1. स्वामीनारायण मंदिर, कालूपुर, अहमदाबाद, 2. बोचरवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामी नारायण (बी0ए0पी0एस0), साईबाग, अहमदाबाद, 3. बी0ए0पी0एस0, सारंगपुर, अहमदाबाद, 4. बी0ए0पी0एस0, ताजपुर, भावनगर, 5. स्वामीनारायण मंदिर, गढरा, भावनगर, 6. बी0ए0पी0एस0, गढरा, भावनगर, 7. स्वामीनारायण मंदिर, बड़ताल, खेरा) में दो माह की अवधि में साक्षात्कार, अनुसूची व अवलोकन के माध्यम से उद्येषत्मक प्रतिदर्षन विधि द्वारा मंदिर परिसर में 202 अनुयायियों का अध्ययन किया गया। ऑकड़ों का विष्लेषण गुणनात्मक व गणणात्मक दोनों रहा। गणणात्मक ऑकड़े के संगणन के लिए संख्या व प्रतिषत को आधार बनाया गया। प्रतिदर्ष के बहुविकल्पीय प्रतिक्रिया मिलने के कारण वास्तविक गणन व प्रतिक्रिया में भिन्नता है।

भगवान स्वामी नारायण का जन्म 2 अप्रील 1781 को उत्तर प्रदेष में अयोध्या के निकट छंपिया नामक गॉव में हुआ था एवं मात्र 11 वर्ष की उम्र में गृहत्याग कर पूरे गुजरात का भ्रमण किया व तदुपरांत गुरू रामानंद के षरण में अपने षिष्यत्व को स्वीकार कर वे इस संप्रदाय का निर्माण व विकास किया। याज्ञनीक (1972) ने बताया है कि स्वामी नारायण संप्रदाय बनने से पहले स्वामी नारायण ने गुजरात के कई गॉवों का भ्रमण किया था। भगवान स्वामी नारायण सम्प्रदाय की उत्पत्ति उन परिस्थितियों में हुई थी, जब गुजरात में हिंदू पतन की ओर जा रहे थे, मॉस भक्षण कर रहे थे, नषे में लिप्त हो गए थे, आपस में ही जाति व लिंग के आधार पर उॅच–नीच में बॅटे थे। इस सब परिस्थितियों को देखते हुए स्वामी नारायण ने धार्मिक पुनर्जागरण प्रारंभ किया जो लोगों को सुस्कारित करना था (महाराज, 2001)। परिणामस्वरूप आज पूरे गुजरात सहित भारत के अन्य स्थानों व विदेषों में स्वामी नारायण का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है (अरकेरी, 2008)। आज गुजरात के षहर ही नहीं गॉव–गॉव में भी इनके भक्त व मंदिर हैं। स्वामी नारायण का मानना था कि महिलाओं के धर्म–पालन हेतु विषेष नियम बनाने की आवष्कता है। यही कारण है कि वचनामृत एवं षिक्षा पत्री जो वे स्वयं लिखे, उनमें महिलाओं के लिए विषेष ध्यान दिया। झा (2005) ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि नव धर्म अर्थात् स्वामीनारायण सम्प्रदाय के प्रति आकर्षित होने का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण 1. आत्मकीकरण एवं अनुकरण, 2. समाजीकरण, षिक्षण एवं पुनर्बलन, 3. मनोकामना पूर्ति, 4. सामाजिक परिस्थिति, 5. मनोवैज्ञानिक दबाव, 6. व्यक्तित्व षीलगुण, 7. मानसिक षांति व सुखमय जीवन की लालसा प्रमुख हैं। मुकुंदचरणदास (2003) व अरकेरी (2008) ने बताया है कि स्वामीनारायण मंदिर में महिला व पुरूषों के लिए अलग–अलग बैठक व्यवस्था होने से महिलाओं में धार्मिक विष्वास बढा है व इनमें षिक्षा दर भी बढा है। साथ ही, महिलाओं को दीक्षा देने के दौरान भी साधु सीधे महिलाओं से नहीं मिलते हैं बल्कि अलग से महिलाओं द्वारा महिला को दीक्षित किया जाता है। मुकुंदचरणदास (2003) के अनुसार, विधवा महिलायें सांख्ययोगी बनकर भक्ति करती हैं। षिक्षापत्री (2017) में महिलाओं के लिए कुछ नियम हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है–

1. .....स्त्रियॉ, विधवा, आदि सभी स्त्रियॉ.....स्वधर्म की रक्षा करनेवाले....व हमारे षुभ आषीर्वाद है (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–5/6)।
2. स्त्री धन..... के लिए हिंसा कभी नहीं करें। (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–13)।
3. ..... स्त्रियॉ व्यभिचार न करें, जुआ व व्यसर का परित्याग करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–18)।
4. .....स्त्री साधु औार वेद की निंदा नहीं करें व दूसरों की मुख से न सुनें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–21)।
5. जो लोग .....स्त्री.....रहते हुए पापगर्म में प्रवृत्त.....लोगों को समागम न करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–28)।
6. .....स्त्री की मुख से ज्ञान न सुनें और विवाद न करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–34)।
7. .....मंदिर में पुरूष स्त्री का स्पर्ष न करें व स्त्री भी पुरूष का स्पर्ष न करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–40)।
8. .....स्त्री अपनी भाल में तिलक न करें व टीका न लगायें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–53)।
9. .....गृहस्थ स्त्री .....साधारण धर्म .....समान रूप से पालन करना है (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–122)।
10. .....अपने समीप संबंध स्त्रियॉ को कभी भी उपदेष न करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–123)।
11. .....स्त्रियों का स्पर्ष न करें व उनके साथ भाषण न करें .....(षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–124)।
12. .....की पत्नियॉ .....अपनी पति की आज्ञा.....उपदेष.....पुरूषों को न करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–133)।
13. .....की पत्नियॉ.....पुरूष का स्पर्ष न करें, बोलें नहीं व मुख भी न दिखयें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–134)।
14. ..... पुरूष विधवा स्त्री का स्पर्ष न करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–135)।
15. ..... पुरूष.....अपनी मॉ, बहन, पुत्री के साथ..... एकांत में र रहें व .....स्त्री का दान ....नहीं करना (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–136)।
16. .....स्त्री का प्रसंग हमारे सत्संगी किसी भी प्रकार से न करें। (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–137)।
17. .....माता..... की सेवा जीवन पर्यंत अपनी षक्ति करनी (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–139)।
18. .....स्त्रियों को अपना पति अंध, रोगी, दरिद्र, नपुंसक हो तो भी उसकी सेवा ईष्वर के समान ही करनी चाहिए और पति को कभी भी कटु वचन नहीं कहना चाहिए स्पर्ष न करें व उनके साथ भाषण न करें .....(षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–159)।
19. .....स्त्रियों .....दूसरे किसी भी पुरूष का प्रसंग, सहज स्वभाव से करना नहीं (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–160)।
20. .....स्त्रियॉ अपनी नाभी, जांघा और छाती को दूसरे पुरूष देखें ऐसा बर्ताव न करें और ओढने के वस्त्र .....रहें तथा भांड–भाडैती देखने न जायॅ और निर्लज्ज आदि स्त्रियों की संगत न करें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–161)।
21. .....पति के परदेष जाने पर .....स्त्रियों को आभूषण, वस्त्र को धारण न करना चाहिए तथा दूसरों के घर पर नहीं जाना तथा किसी के साथ हॅसी–मजक नहीं करना (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–162)।
22. ..... विधवा स्त्रियों को भगवान की सेवा करनी चाहिए और अपने पिता तथा पुत्र आदि की आज्ञा में रहना चाहिए..... (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–163)।
23. ..... पुरूषों का स्पर्ष कभी नहीं करना चाहिए.....युवावस्था.....तरूण पुरूषों से भाषण भाषण भी नहीं करना (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–164)।
24. ..... बालक के स्पर्ष,....पषु के स्पर्ष से दोष नहीं है.....आवष्क कार्य उपस्थित हो तब उसमें वृद्ध पुरूष के स्पर्ष में और उसके साथ भाषण करने में दोष नहीं है (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–165)।
25. ..... विधवा स्त्रियों को अपने समीप संबंध रहित पुरूष से कोई विद्या पढनी नहीं और बार–बार व्रत उपवास करके अपने षरीर पर दमन करना चाहिए (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–166)।
26. ..... विधवा स्त्रियों को सिर्फ एक बार आहार करना तथा भूमि पर सोना और मैथुन से आसक्त.....प्राणी मात्र को जानबूझकर देखना नहीं (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–168)।
27. ..... विधवा स्त्रियों को सौभाग्यवती स्त्रियों के समान वेषभूषाधारण करनी नहीं.....एवम् अपने देष, कूल तथा आचार के विरूद्ध वेषभूषा कभी भी धारण नहीं करनी (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–169)।
28. ..... गर्भपाात करानेवाली स्त्री का संग और स्पर्ष भी नहीं करना और पुरूष की श्रंगार रसयुक्त बातें भी नहीं करनी और सुननी भी नहीं (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–170)।
29. ..... विधवा स्त्रियों को युवान अवस्था में रहे हुए अपनी संबंधी पुरूष के साथ भी एकांत स्थल में बिना आपतकाल नहीं रहना (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–171)।

ISBN: 978-93-85822-76-6

30. स्त्रियॉ वस्त्र धारण किए बिना स्नान न करें और अपना रजस्वला धर्म किसी भी प्रकार गुप्त नहीं रखना चाहिए (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–173)।
31. रजोधर्म.....स्त्रियॉ तीन दिन तक कोई मनुष्य अथवा वस्त्रादि को न स्पर्ष न करें। परंतु चौथे दिन स्नान करके ही स्पर्ष करें स्त्रियॉ वस्त्र धारण किए बिना स्नान न करें और अपना रजस्वला धर्म किसी भी प्रकार गुप्त नहीं रखना चाहिए (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–174)।
32. .....ब्रह्मचारी स्त्री को स्पर्ष न करें तथा स्त्रियों के साथ भाषण न करें तथा..... स्त्रियों....देखें भी नहीं, और स्त्रियों.....बात न करें तथा न सुनें और जिस स्थान में स्त्रियॉ आती जाती हों वहां स्नानादि क्रिया करने के लिए न जायें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–175 व 176)।
33. .....स्त्री की प्रतिमा, चित्र.....का स्पर्ष न करें और .....उसको देखे भी नहीं (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–177)।
34. ब्रह्मचारी स्त्री की प्रतिमा बनाना नहीं तथा स्त्री के वस्त्र को स्पर्ष करना नहीं और मैथुन क्रीड़ा में आसक्त प्राणी मात्र को जानबूझकर देखना भी नहीं (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–178)।
35. .....स्त्री के वेष में रहे हुए पुरूष का स्पर्ष नहीं करना और उसको देखना भी नहीं स्त्रियों को लक्ष्य कर भगवान की कथा वार्ता कीर्तन भी करना नहीं (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–179)।
36. .....स्त्री .....अपने निकट आती हो तो उसको बोलकर अथवा तिरस्कार करके भी लौटा देना चाहिए परंतु समीप में आगे देना नहीं (षिक्षापत्री के ष्लोक सं. –181)।
37. .....स्त्रियों के अथवा अपने प्राण जाने की आपत्ति आ जाय तब तो स्त्रियों को छूकर अथवा उनसे बोलकर उनकी रक्षा करनी और अपनी भी रक्षा करनी (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–182)।
38. .....स्त्री पड़ोसने वाली हो उसके घर में जाना नहीं परंतु जहॉ पुरूष परोसनेवाला हो वहां जाना (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–184)।
39. ..... स्त्रियों के दर्षन भाषणादिक प्रसंग का त्याग करें तथा स्त्रैण पुरूष के प्रसंग और अंतः षत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मान, आदि जों हैं उनको जीतें (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–188)।
40. ..... अपने निवास स्थान में कभी भी स्त्री का प्रवेष होने नहीं देना (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–190)।
41. ..... जहॉ स्त्री का दर्षनादि प्रसंग न हो उस गृहस्थ के घर में साधु लोगों को भोजन के लिए जाना परंतु ऐसा प्रबंध जहॉ न हो तो कच्चे अन्न मांगकर अपने हाथ से पकाना और भगवान को अर्पण कर खाना (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–194 व 195)।
42. हमारे आश्रित स्त्री–पुरूष आदि सब जनों के सामान्य धर्म तथा विषेष धर्म संक्षेप में लिखें हैं तथा इन धर्मों का विस्तार तो हमारे सांप्रदायिक ग्रंथों में से जाना होगा (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–203)।
43. हमारे आश्रित जो पुरूष तथा स्त्रियॉ इस षिक्षापत्री के अनुसार बर्ताव करेंगे वे लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरूषार्थों को अवष्य प्राप्त करेंगे (षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–206)।
44. .....इस षिक्षापत्री के अनुसार बर्ताव नहीं ..... हमारे सम्प्रदाय से बाहर हैं ....(षिक्षापत्री के ष्लोक सं.–207)।

परिणाम एवं विवेचन

तालिका सं.–1 : स्वामी नारायण सम्प्रदाय एवं भक्त (अनुयायी) द्वारा संप्रदाय से जुड़ने के प्रेरक स्रोत

क्रम सं.	मंदिर से जुड़ने का कारण, अभिप्रेरक व इतिहास	संख्या	संपूर्ण प्रतिदर्ष (संख्याः 202) का प्रतिषत
01	पीढी–दर–पीढी/पारिवारिक वातावरण	145	71.78 प्रतिषत
02	रिष्तेदार के माध्यम से	10	4.95 प्रतिषत
03	निकट होने पर	20	9.90 प्रतिषत
04	हिंदू धर्म की श्रेणी में होने के कारण	17	8.41 प्रतिषत
05	मनोकामना पूर्ण होने पर	12	5.94 प्रतिषतं
06	भव्यता देखकर व अन्य से अच्छा होने पर	8	3.96 प्रतिषत
07	किसी अन्य के सुझाव पर या किसी भक्त या मित्र के माध्यम से	36	17.82 प्रतिषत
08	पुस्तक के माध्यम से	1	0.50 प्रतिषत
09	चलते–फिरते व छोटी यात्रा के दौरान जानकारी	7	3.46 प्रतिषत
	कुल		**100.00 प्रतिषत**

तालिका सं.–1 के परिणाम यह इंगित करते हैं कि स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों की पुत्री के विवाहोपरांत वे अपने ससूराल में भी स्वामी नारायण से जोड़वाने का कार्य करती हैं। यही कारण है कि 71.78 प्रतिषत अनुयायी पीढी–दर–पीढी अपनी मॉ, पत्नी व बहू के माध्यम से निरंतरता बनाए हुए हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि पुत्र एक घर देखता है वहीं पुत्री दो घर देखती है। पहला घर मॉ–बाप व दूसरा ससूराल अर्थात पति का घर। इन्हें घर से ऐसे प्रषिक्षण दिए जाते हैं कि ससूराल में सामंजस्य कर लें। एक पुत्री समय–समय पर कई भूमिका का निर्वाह करती हैं। जन्म से लेकर विवाह तक एक पुत्री व बहन का, युवावस्था में विवाह होने पर पत्नी, बहू व भाभी का व बच्चे होने पर एक मॉ का व वृद्ध होने पर सास, दादी व नानी, आदि। संक्षेप में, इन अवस्थाओं में नारियों की भूमिका अलग–अलग है। भगवान स्वामीनारायण ने भी इन अवस्थाओं (विधवा व सधवा सहित) की भूमिका के आधार पर इनके धार्मिक निर्वाह व कर्तव्य बॉट दिए, जो कि वचनामृत और षिक्षा पत्री में उल्लेखित है। कोई बेटी विवावोपरांत ससूराल जाती है तो वह अकेले ससूराल नहीं जाती है बल्कि अपने साथ मॉ–पिता द्वारा सीखाए गए संस्कार व धार्मिक आचार–विचार व मान्यतायें भी साथ ले जाती हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय से दिक्षित परिवार की पुत्रियॉ विवाहोपरांत ससूराल के सदस्य दिक्षित नहीं होने पर अपने संस्कार को यहॉ नियमित प्रयोग करते हैं। धार्मिक आचार–विचार के नियमित पालन, धार्मिक लचीलापन होने व धार्मिक कट्टरता, अंधविष्वास व रूढिवादिता नहीं होने के कारण इसे इनके ससूराल वाले स्वीकार कर लेते हैं। यह संप्रदाय महिला विरोधी नहीं होने व महिला कल्याण उन्मुख होने के कारण यह पीढी दर पीढी दर चलता है। यदि किसी अनुयायी की दो पुत्री है तो वह नए दो घर में जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि अब इन दोनों नए परिवारों में स्वामीनारायण के अनुयायी हो जायेंगे। इसी प्रकार, किसी की पुत्री नए घर में व्याही जाती है और यदि वह स्वामी नारायण संप्रदाय की अनुयायी पहले से नहीं भी है तो सास के माध्यम से ये अनुयायी बन जाती है। ऑकड़ा संग्रहण की अवधि में यह अवलोकन किया गया कि यहॉ पर व्यक्ति 6–7 पीढी व उससे पहले से बिना किसी रूकावट के अपनाते हुए आ रहे हैं। अवलोकन में यह पाया गया कि दिक्षित होने के बाद उनके पीढी में स्वामी नारायण संप्रदाय को किसी ने नहीं छोड़ा व इसके पीछे कोई नकारात्मक विचार भी उत्पन्न नहीं हुआ। यही कारण है कि अधिकांषत अनुयायी पीढी–दर–पीढी से दादी या उससे पहले की पीढी, मॉ, पत्नी, बहू, विवाहित बहन (विवाह के उपरांत ससूराल में देखने पर मायके में कहकर स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़वाना), आदि के माध्यम से इस परंपरा में आ रहे हैं व बिना किसी रूकावट के आज भी नियमित रूप से इससे जुड़े हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में अनुयायी बनने के अन्य कारणों में स्वयं के रिष्तेदार या दूर के रिष्तेदार के माध्यम से आचार–विचार करने व कहने पर (4.95 प्रतिषत), मंदिर व अनुयायी के निवास स्थल के बिल्कुल निकट होने पर (9.90 प्रतिषत), कृष्ण व स्वामीनारायण संप्रदाय के विचार हिंदू धर्म की श्रेणी में होने के कारण (8.41 प्रतिषत), मनोवांछित कार्य पूरा होने व कोई कामना पूर्ण होने पर (5.94 प्रतिषत), मंदिर की विषाल भव्यता देखकर व तुलनात्मक रूप से अन्य से अच्छा दीखने के कारण (3.96 प्रतिषत), किसी मित्र, राहगीर या अन्य के सुझाव (17.82 प्रतिषत), स्वामी नारायण संप्रदाय के पुस्तक में लिखित जानकारी से (0.50 प्रतिषत) व चलते–फिरते व छोटी यात्रा के दौरान जानकारी (3.46 प्रतिषत) प्रमुख हैं।

तालिका सं.–2 : यौन भिन्नता के आधार पर स्वामी नारायण सम्प्रदाय के प्रति मनोवृत्ति

लिंग	स्वधर्म में मनोवृत्ति		कुल
	अनुकूल	प्रतिकूल	
पुरूष	164 (94.80 प्रतिषत)	9 (5.20 प्रतिषत)	173 (85.64 प्रतिषत)
महिला	28	1	29

ISBN: 978-93-85822-76-6

	(96.55 प्रतिषत)	(3.45 प्रतिषत)	(14.35 प्रतिषत)
कुल	**192**	**10**	**202**

तालिका सं.–2 के परिणाम से हैं कि स्वामी नारायण संप्रदाय में 96.55 प्रतिषत महिलायें व 94.80 प्रतिषत पुरूष स्वामी नारायण संप्रदाय के धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। यह संप्रदाय बिना किसी यौन भिन्नता के भेदभाव किए बिना, नवीन धर्म होने के कारण व सनातन हिंदू धर्म में परिमार्जित होने के कारण सबको आकर्षित करता है। यही सकारात्मक बिंदु स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी को सकारात्मक व अनुकूल मनोवृत्ति बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह संप्रदाय अधिक पुराना नहीं है व आज भी इसे नवीन धर्म के रूप में देखा जा सकता है। इस संप्रदाय के निर्माण हुए लगभग 200 वर्ष हुए हैं। वचनामृत व षिक्षा पत्री में उपलब्ध लिखित सामग्री वैज्ञानिक कसौटी के अनुसार खड़े उतरते हैं। इस लिखित सामग्री में रूढिवादिता व अंधविष्वास से परे सरल से सरल जीवन जीने की ओर मार्ग प्रषस्त करता है। इस संप्रदाय के अनुयायी अपनी जीवन–यापन व कर्तव्य षिक्षा पत्री में लिखित उपउेष व प्लोक के अनुसार करते है। अतः यही कारण है कि लगभग सभी पुरूष–महिला स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रति सकारात्मक व अनुकूल मनोवृत्ति रखते हैं।

तालिका सं.–3 : यौन भिन्नता के आधार पर स्वामी नारायण सम्प्रदाय के अनुयायी द्वारा दूसरे अन्य धर्म के प्रति मनोवृत्ति

लिंग	अन्य दूसरे धर्म के प्रति मनोवृत्ति		कुल
	अनुकूल	प्रतिकूल	
पुरूष	139 (80.35 प्रतिषत)	34 (19.65 प्रतिषत)	173 (85.64 प्रतिषत)
महिला	26 (89.66 प्रतिषत)	3 (10.34 प्रतिषत)	29 (14.35 प्रतिषत)
कुल	**192**	**10**	**202**

तालिका सं.–3 के परिणाम यह इंगित करते हैं कि हिंदू व अन्य धर्म की सामंजस्य में स्वामी नारायण की भूमिका को स्वीकार करने में महिलाओं की सहभागिता 89.66 प्रतिषत व पुरूषों की सहभागिता 80.35 प्रतिषत है। स्वामी नारायण संप्रदाय के सभी महिला व पुरूष अनुयायियों द्वारा दूसरे अन्य धर्म के प्रति समान मनोवृत्ति रखने वालों की संख्या अधिक है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं बताया कि हमें सभी धर्म का आदर व सम्मान करना चाहिए व भगवान में भेदभाव व उॅच–नीच व बड़े–छोटे का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑकड़ा संग्रहण के दौरान यह अवलोकन किया गया कि साधुओं का प्रषिक्षण बहुत कठिन स्तरों से होकर गुजरता है व इसमें जो सफल नहीं होते हैं उसे साधु नहीं बनाया जाता है। यहॉ के प्रषिक्षण में हिंदू धर्म के सभी धार्मिक पुस्तक व अन्य धर्म के पुस्तक– बाईबिल, कुरान, आदि की पढाई करनी होती है। अरकेरी (2008) के अनुसार, यहॉ के कुछ साधु आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स, आदि से डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मेनेजमेंट, पी.एच.डी., आदि की पढाई कर साधु बनते हैं। षिक्षा पत्री (2017) में किसी भी देवता की निंदा नहीं करने, सभी मंदिरों को आदर, नमस्कार व दर्षन करने, स्वामीनारायण के अलावा अन्य धार्मिक प्रतीक, तिलक, आदि को प्रयोग में लेने, कुछ विधियों में जैन के नियम (जैसे–चातुर्मास, ऋषभदेव, आदि के माध्यम से उदाहरण देते हुए) मानने, विष्णु, षिव, गणपति, हनुमान, पार्वती तथा सूर्य को मानने के लिए कहा है। अरकेरी (2008) ने अपने अध्ययन में स्वामी नारायण संप्रदाय को समन्वयवाद (अर्थात इनके अनुयायी द्वारा अन्य धर्म में समान पालन) पर जोर देता है। भगवान स्वामी नारायण के उदारवादी विचार होने से इनके अनयुयायी केवल हिंदू ही नहीं हैं बल्कि मुस्लिम, पारसी व जैन भी हैं (महाराज, 2001)। अतः इनके के अनुयायी अन्य धर्म व संप्रदाय से समान व्यवहार करते हैं व किसी अन्य धर्म को निम्न नहीं मानते हैं। यही कारण है कि इस संप्रदाय में लचीलापन होने के कारण व स्वीकृति मिलने के कारण ये अन्य धर्म के प्रति भी अनुकूल मनोवृत्ति रखते हैं।

तालिका सं.–4 : यौन भिन्नता के आधार पर धर्म के नकारात्मक पहलू के प्रति मनोवृत्ति की तुलना

लिंग	धर्म के नकारात्मक पहलू के प्रति मनोवृत्ति		कुल
	अनुकूल	प्रतिकूल	
पुरूष	62 (35.84 प्रतिषत)	111 (64.16 प्रतिषत)	173 (85.64 प्रतिषत)
महिला	7 (24.14 प्रतिषत)	22 (75.86 प्रतिषत)	29 (14.35 प्रतिषत)
कुल	**192**	**10**	**202**

तालिका सं.–4 के परिणाम यह इंगित करते हैं कि धर्म के नकारात्मक पहलू, जैसे–अंधविष्वास, परंपरा में परिवर्तन, आदि को स्वीकार करने में महिलाओं की सहभागिता 24.14 प्रतिषत हैं वहीं 64.16 प्रतिषत पुरूष इस श्रेणी में हैं। सामान्यतः व्यक्ति नए के प्रति आकर्षित होता है व स्वामी नारायण संप्रदाय अभी पुराना नहीं हुआ है। अभी इसका इतिहास लगभग 200 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। हिंदू धर्म सहित विष्व के जितने भी धर्म हैं इन सभी की मान्यता है कि जब–जब पृथ्वी पर पाप बढता है कोई न कोई अवतार जन्म लेता है। भगवान स्वामी नारायण के अवतरित होने के भी यही कारण हैं, जैसे कि– गुजरात में उस समय हिंदू धर्म का पतन की ओर जाना, भगवान की षक्ति को नहीं जानना, अपने पथ से हटकर व्यवसाय करना, मॉस भक्षण में संलिप्तता, नषे में लिप्त रहना, ब्राह्मणों का नैतिक पतन व कर्मकाण्ड में अरूचि, आपस में ही जाति व लिंग के आधार पर उॅच–नीच में भेदभाव रखना, आदि। सामान्यतः किसी भी धर्म का पतन व बुराई नारी (महिला) व संपत्ति (नकद रूपये, जेवर, जमीन, मकान, आदि) से षुरू होता है। उन्होंने नारी व संपत्ति को साधु से अलग रखा। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि विदेष में मंदिर उद्घाटन के दौरान दूरदर्षन पर सीधा प्रसारण हो रहा था। लेकिन, साधु इस समय (टी.वी. में महिला की आवाज व चित्र देखने मात्र से ही) यह दृष्य नहीं देखे। साधु पैसे भी नहीं छूते। इन्हें खाना में जो भी मिले, सभी एक साथ मिलाकर खाते हैं ताकि कोई विषेष स्वाद की पहचान न हो पाये। इस संप्रदाय में विवाहित महिला, विधवा महिला, बालिका, वृद्ध महिला सहित पुरूष के अधिकार व कार्य निर्वाहन तय हैं, इसीलिए महिलायें इस संप्रदाय को पूर्ण सुरक्षित मानती हैं। अतः यह एक प्रमुख कारण है कि नए धर्म (संप्रदाय) होने के कारण सनातन धर्म में परिलक्षित दोषों का संषोधित रूप, महिलाओं के कल्याण संबंधी योजना, विषालकाय षैक्षिक संगठन, साधु द्वारा संपत्ति व अपने घर का परित्याग, आदि गुण होने से इनके अनुयायी इसके नकारात्मक पहलू की ओर ध्यान नहीं देते हैं व इनमें इस संप्रदाय में केवल अच्छाई ही दिखती है। इसीलिए, स्वामी नारायण संप्रदाय के नकारात्मक पहलू को खोजने वाले की संख्या कम है व यहॉ के लगभग सभी अनुयायी धर्म के नकारात्मक पहलू को कम ही मानते हैं।

निष्कर्ष

परिणाम यह इंगित करते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण ने स्वामीनारायण सम्प्रदाय को एक नया रूप दिया है। जिसमें स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों की पुत्री के विवाहोपरांत अपने ससूराल में भी स्वामी नारायण से जोड़वाने का कार्य करती हैं। यही कारण है कि 71.78 परिवार पीढी–दर–पीढी अपनी मॉ, पत्नी व बहू के माध्यम से पुराने पीढी को निरंतर बनाए हुए हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय में 96.55 प्रतिषत महिलायें व 94.80 प्रतिषत पुरूष इस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसी प्रकार, हिंदू व अन्य धर्म की सामंजस्य में स्वामी नारायण की भूमिका को स्वीकार करने में महिलाओं की सहभागिता 89.66 प्रतिषत व पुरूषों की सहभागिता 80.35 प्रतिषत है। इसी प्रकार, धर्म के नकारात्मक पहलू, जैसे–अंधविष्वास, परंपरा में परिवर्तन, आदि को स्वीकार करने में महिलाओं की सहभागिता 24.14 प्रतिषत हैं वहीं 35.84 प्रतिषत पुरूष इस श्रेणी में हैं। संक्षेप में, नारीवादी दृष्टिकोण ने स्वामीनारायण सम्प्रदाय को एक नया रूप दिया है। जिसमें स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों की पुत्री के विवाहोपरांत अपने ससूराल में भी इस संप्रदाय से जोड़ने का कार्य करती हैं। महिला अनुयायी पीढी–दर–पीढी से स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार–विचार के नियमित पालन, संप्रदाय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति निर्माण व हिंदू धर्म के अन्य देवताओं से सामंजस्य बनाने में अधिक सक्रिय लेकिन अंधविष्वास व धर्म के नकारात्मक विचार को स्वीकार करने में कम सक्रिय हैं।

ISBN: 978-93-85822-76-6

आभार
स्वामी नारायण संप्रदाय के अध्ययन का योगदान डॉ. वी. आर. राव, पूर्व निदेषक व डॉ. विनय कुमार श्रीवास्तव, निदेषक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता को जाता है जो कि इस अध्ययन हेतु आर्थिक सहयोग करने, आवष्यक वैज्ञानिक मार्गदर्षन व प्रकाषन हेतु मार्ग प्रषस्त किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1ण अजीज, के. के. (1993). पब्लिक लाइफ इन मुस्लिम्स इंडिया : 1850–1947. दिल्ली : रेनेसान्स पब्लिषिंग हाउस ।
2ण अरकेरी, ऐ. वी. (2008). स्वामी नारायण संप्रदास : ए स्टडी ऑफ सेनक्षीओज्म. मंडल, देवव्रत, बागची, तिलक और मुखोपाध्याय, अषोक (संपादित पुस्तक). पोर्टरेट ऑफ एन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्च. नई दिल्ली : सरूप बूक प्रकाषन (पृष्ठ सं.– 26–47)।
3ण गांधी, राजमोहन (1986). ऐट लाईब्ज : ए स्टडी ऑफ द हिंदू–मुस्लिम एउनकाउंटर. न्यूयार्क : यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क प्रेस ।
4ण झा, ए.पी. (2005). ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्वामी नारायण संप्रदाय. (अनपब्लिष्ड रिसर्च रिपोर्ट). उदयपुर : एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
5ण प्रसाद, षुकदेव (1989). नेहरू और विज्ञान. . दिल्ली : पराग प्रकाषन ।
6ण महाराज, लालजी (2001). श्री कुषलेन्द्र प्रसाद जी महाराज : भगवान श्री स्वामी नारायण. अहमदाबाद : श्री स्वामी नारायण मंदिर।
7ण मुकुंद, चरण दास (2003). द स्वामी नारायण. अहमदाबाद : स्वामीनारायण अक्षरपीठ ।
8ण मुहम्मद, नौमान (1942). मुस्लिम इंडिया. इलाहाबाद : इलाहाबाद प्रकाषन ।
9ण मेडिसन, एंगल्स (2001). क्लास स्ट्रक्चर एंड इकोनोमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया पंड पाकिस्तान सिन्स दी मुगल्स लाहौर : लाहौर एकेडमी ।
10ण मैकलीन, जे. आर. (1971). इंडियन नेषनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस. प्रिंसटन : एन. जे. पिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस ।
11ण याज्ञनीक, जे. ए. (1972). द फिलोसोफी ऑफ स्वामी नारायण. अहमदाबाद : एल. डी. इंस्टीच्यूट ऑफ इंडोलोजी ।
12ण हक, जलालुद्दीन (1992). नेषन एंड नेषन वर्षिप इन इंडिया. दिल्ली : जेनविन पब्लिषिंग हाउस ।
13ण षरीफ,वी. जे. (1975).द प्रोपोज्ड पोलिटिकल, लीगल एंड सोषल रिफार्म्स इन द ऑटोमन इंपायर एंड अदर मोहम्मडन स्टेट्स. लंदन :वजमो लंदन प्रेस ।
14ण षिक्षापत्री (2017). षिक्षापत्री : अर्थ संहिता. कच्छ भुज : स्वामी नारायण पब्लिषिंग हाउस ।

.....

ISBN: 978-93-85822-76-6